



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशेष
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 4 जनवरी, 2021

पौष 14, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग-2

संख्या 1173/24-पी-2-20-1(121)-04

लखनऊ, 3 जनवरी, 2021

अधिसूचना

आदेश

प०आ०-6

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है; अतएव, अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 मास की अवधि के लिए 1-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 2-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ, 3-उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ, 4-उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 5-कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी (केस्को), 6-मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ, 7-पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी, 8-पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ और 9-दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देती हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाय।

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1173/XXIV-P-2-20-1(121)-04, dated January 3, 2021:

No. 1173/XXIV-P-2-20-1(121)-04

Dated Lucknow, January 3, 2021

WHEREAS the State Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act no. XXX of 1966), the Governor is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the *Gazette*, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited, Lucknow, 4. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 5. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 6. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow, 7. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi, 8. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut and 9. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of section 3 of the said Act that this order shall be published in the *Gazette*.

By order,
ARVIND KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 650 राजपत्र-2021-(1290)-599 (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सा० ऊर्जा-2021-(1291)-250 (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।